



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

परमाणु ऊर्जा विभाग

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

औ. सं. एवं क. अनुभाग

IR&W SECTION

अणुशक्ति भवन

Anushakti Bhavan,

छ. शि. म. मार्ग

C.S.M. Marg,

मुंबई/Mumbai - 400001

(☎ 022-22862703)

ई-मेल/e-mail-irw@dae.gov.in

फैक्स/Fax No. - 2204 8476 &

2282 4354

सं. No. 7/3/2017/IR&W(Vol.II) | 15090

दिसंबर December 4, 2018

कार्यालय ज्ञापन OFFICE MEMORANDUM

विषय : सीएचएसएस नियम सं. 4.2 में संशोधन - मेडीक्लेम पॉलिसी के तहत मेडिकल कवरेज वाले निजी संगठनों है, में कार्य करने वाले कर्मचारियों के पति/पत्नी को सीएचएसएस लाभ प्रदान करना और मेडीक्लेम पॉलिसी धारक होने की हालत में सीएचएसएस के तहत लाभार्थियों को चिकित्सा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में।

Sub Amendment in CHSS Rule No.4.2 - extension of CHSS benefits to spouse of employees working in private organizations with medical coverage under mediclaim policies and reimbursement of medical expenses to beneficiaries under CHSS in case of Mediclaim Policy Holders.

सीएचएसएस नियम सं. 4.2 के अनुसार, कोई व्यक्ति जो इस योजना को छोड़कर किसी अन्य स्रोत, उदाहरण के लिए रेलवे/सीजीएचएस/वाणिज्यिक संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/राज्य सरकारों आदि से चिकित्सा सहायता/सुविधा/नकद सब्सिडी, नकद भत्ता, चिकित्सा देखभाल के लिए प्रतिपूर्ति नहीं पा रहा है या पाने के लिए पात्र नहीं है, उसे स्पष्ट अनुमति के बिना और प्रमुख, चिकित्सा प्रभाग, बीएआरसी द्वारा लगाए जाने वाले ऐसे प्रतिबंधों की शर्त पर तथा पति/पत्नी की नियोक्ता से प्राप्त प्रमाण पत्र, जिसमें यह उल्लेख हो कि उनसे चिकित्सा लाभ वापस ले लिया गया है, को प्रस्तुत करने पर इस योजना में शामिल किया जाएगा। सभी कर्मचारियों को प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष की शुरुआत में या इसके बाद यथाशीघ्र अन्य स्रोतों से चिकित्सा सहायता के लिए उनके परिवार के सदस्यों की पात्रता या अन्यथा के बारे में घोषणा करनी होगी।

As per CHSS Rule No.4.2, no person who is receiving or is eligible to received medical aid/facility/cash subsidy, cash allowance or reimbursement for medical care from any source other than this Scheme, such as for example the Railways/CGHS/Commercial Organisations/Public Sector Undertakings/State Governments etc. shall be admitted to the Scheme without the explicit permission and subject to such restrictions as may be imposed by the Head, Medical Division, BARC and subject to production of a certificate from the employer of the spouse stating that the medical benefits from them have been withdrawn. All employees should declare at the beginning of each calendar year or as soon as possible thereafter about the eligibility or otherwise of the members of their family for medical assistance from other sources.

....2/-

2. उपर्युक्त प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, इस विभाग के ऐसे कर्मचारी जिनके पति/पत्नी कम्प्रीहेंसिव पैकेज के भाग के रूप में मेडीकलेम पॉलिसी के तहत मेडिकल कवरेज वाले निजी संगठनों में कार्यरत हैं उनके लिए पति/पत्नी हेतु सीएचएसएस सुविधा का लाभ लेना कठिन होता है।

In view of above provision, employees of the Department, having their spouse working in private organizations with medical coverage under mediclaim policies as part of a comprehensive package, find it difficult to avail CHSS facility for the spouse.

3. इस मामले की जांच और सिफारिश के लिए सीएचएसएस नियमों की समीक्षा करने वाली समिति को भेजा गया। इस समिति ने सीएचएसएस लाभार्थियों के केवल पति/पत्नी, जो पारिश्रमिक पैकेज के भाग के रूप में मेडीकलेम पॉलिसी के तहत कवर हैं, के लिए सीजीएस पैटर्न को अंगीकार करने की सिफारिश की है। इसमें शुरुआती प्रतिपूर्ति का दावा मेडीकलेम पॉलिसी कंपनी से किया जाएगा और शेष के लिए सीजीएसएस द्वारा निर्धारित सीमा तक प्रतिपूर्ति या लाभार्थी द्वारा खर्च किये गये वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, के अधीन सीएचएसएस से संपर्क किया जाएगा।

The matter was referred to the Committee reviewing the CHSS Rules for examination and recommendation. The Committee has recommended adopting the CGHS pattern for only spouse of the CHSS beneficiaries who are covered by mediclaim policy as part of remuneration package initially with the reimbursement to be claimed from the mediclaim policy company in the first instance and then approach the CHSS for the balance subject to reimbursement being limited to the ceilings fixed by CGHS or actual expenditure incurred by the beneficiary, whichever is less.

4. तदनुसार, कर्मचारी के पति/पत्नी जो अपने पारिश्रमिक पैकेज के भाग के रूप में मेडीकलेम पॉलिसी के तहत कवर हैं, को सीएचएसएस लाभों की अनुमति देने तक सीएचएसएस नियम 4.2 को शिथिल करने का निर्णय विभाग में लिया गया है। ऐसे मामलों में प्रतिपूर्ति, उपचार पर लाभार्थी द्वारा खर्च कुल व्यय से अधिक नहीं होगी। लाभार्थी पहला दावा मेडीकलेम पॉलिसी के तहत और शेष भाग का दावा सीएचएसएस के तहत करेगा। मूल वाउचर/बिलों के तहत मेडिकल क्लेम लाभार्थी द्वारा बीमा कंपनी पर किया जाएगा जो प्रतिपूर्ति की गई राशि को दर्शाते हुए एक प्रमाण पत्र संबंधित सीएचएसएस नियंत्रण प्राधिकारी को जारी करेगा यह बीमा कंपनी ऐसे मामलों से संबंधित मूल वाउचर/बिल अपने पास रखेगी। लाभार्थी वाउचर/बिलों की फोटोकॉपी को लिखित में विधिवत प्रमाणित कराकर और वाउचर/बिलों के पीछे बीमा कंपनी की मुहर लगवाकर संबंधित सीएचएसएस नियंत्रण प्राधिकारी को मेडिकल क्लेम प्रस्तुत करेगा। सीएचएसएस की प्रतिपूर्ति अनुमोदित पैकेज दरों के अनुसार केवल अनुमेय रकम तक सीमित की जाएगी बशर्ते कि दोनों संगठनों द्वारा प्रतिपूर्ति कुल रकम लाभार्थी द्वारा खर्च कुल व्यय से अधिक न हो।

Accordingly, it has been decided in the Department to relax the provisions under CHSS Rule 4.2 to the extent of allowing the CHSS benefits to spouse of employees who are covered by mediclaim policy as part of their remuneration package. The reimbursement in such cases shall not exceed the total expenditure incurred by the beneficiary on the treatment. The beneficiary will make the first claim under the mediclaim policy and the remaining part of the claim under the CHSS. The medical claim against the original vouchers / bills would be raised by the beneficiary first on the insurance company, which would issue a certificate indicating the amount reimbursed to the CHSS administering authority concerned. The insurance company concerned will retain the original vouchers/bills in such cases. The beneficiary would then prefer his/her medical claim alongwith photocopies of the vouchers/bills duly certified, in ink, alongwith stamp of the insurance company on the reverse of the vouchers/bills to the CHSS administering authority concerned. Reimbursement from CHSS will be restricted only to the admissible amount as per approved package rates subject to the condition that the total amount reimbursed by the two organization does not exceed the total expenditure incurred by the beneficiary.

5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of Competent Authority.



(राकेश गर्ग Rakesh Garg)

निदेशक (आईआरएंडडब्ल्यू) Director (IR&W)

सेवा में To

सभी सीएचएसएस के नियंत्रण प्राधिकारी

All CHSS Administering Authorities